श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0,जिला पदाधिकारी मधुबनी की अध्यक्षता में दिनांक 23.04.2016 को सम्पन्न सात निश्चय, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, नई उत्पाद नीति के कियान्वयन से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही की गयी।

श्री नरेश झा, वरीय उप समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सात निश्चय से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में मांगा गया था किन्तु कुछ विभागों से अबतक प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग से प्राप्त पत्र बैठक के क्रम में सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये यह अपेक्षा की गयी कि दिनांक 24.04.2016 के सांयकाल तक उन्हें उपलब्ध करा दिया जाय ताकि प्रतिवेदन समेकित किया जा सके। मंत्रिमण्डल सचिवालय से प्राप्त प्रपत्र के आधार पर ही समाहरणालय में दिनांक 25.04.2016 को 4:00 बजे अपराह्न में समीक्षा की जायेगी। दिनांक 04. 05.2016 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की जायेगी। हर विभाग की चर्चा हो सकती है। इसलिए संबंधित पदाधिकारी अपने विभागीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन भी भेजेंगे। किसी भी बिन्दु पर समीक्षा हो सकती है। यह सलाह दी गयी कि एक राईटअप अपने विभाग से संबंधित तैयार कर लिया जाय। दिनांक 25.04.2016 की बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा इस आलोक में समीक्षा होगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रमण्डलीय बैठक की तिथि निर्धारित हो गयी है जिसमें मुख्य रूप से सात निश्चय, लोक शिकायत निवारण अधिनियम नई उत्पाद नीति की विस्तृत समीक्षा हो सकती है। अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा की जा सकती है इसलिए संबंधित विभागीय पदाधिकारी इन तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं के साथ–साथ अपने–अपने विभागीय प्रतिवेदन को भी अद्यतन कर नोडल पदाधिकारी को रविवार के सांयकाल तक उपलब्ध करा देंगे।जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सुसशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से बिहार गजट में प्रकाशित संकल्प की प्रति सभी को उपलब्ध करायी गयी है जिसका कार्यान्वयन ससमय किया जाना है।

(01) सात निश्चयः–

1– आर्थिक हल, युवाओं को बलः–

बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की गयी है।

कितने शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, इसका सर्वेक्षण करना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सर्वेक्षण कर रविवार के सांयकाल तक प्रतिवेदन देंगे। इस संबंध में विस्तृत निर्देश विभाग द्वारा दिया जा रहा है। जिले के सभी कॉलेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रतिवेदन रविवार को नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। कक्षा पाच के बाद सभी बच्चों का बैंक खाता खोला जाना है ताकि उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल सके। जिला में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराया जायेगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में 40/30 फीट कुल 1200 वर्गफीट में भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन खाता, खेसरा, रकवा के साथ रविवार को उपलब्ध करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी इसकी मोनेटरिंग करेंगे।

2– आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकारः–

महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना।

3– हर घर बिजली लगातारः–

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर को इसका दायित्व दिया गया है कि अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर रविवार को प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी को दें कि कितने गांव/टोला (बसावट) में लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है और कितने वंचित हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों का दायित्व है कि विद्युत विभागीय सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को बुलाकर प्रतिवेदन प्राप्त कर उपलब्ध करायेंगे।

4– हर घर नल का जलः–

हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। यह कार्य पी0एच0ई0डी0की है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यह सर्वेक्षण करा लें कि कहॉ–कहॉ टंकी है, कितने कार्यरत और कितने अकार्यरत हैं। नगर परिषद एवं नगर पंचायत के सभी कार्यपालक पदाधिकारी अपना अपना प्रतिवेदन पी.एच.ई.डी.को आज ही उपलब्ध करा देंगे।

5– घर तक पक्की गली–नालियॉः–

संपर्क विहीन बसावटों को पककी सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सर्वेक्षण कराकर प्रतिवेदन दें कि कितने गांव/टोला/मुहल्ला संपर्क विहिन है। सभी गांव एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जायेगा। अब जो भी सड़क बनेगी उसमें नाली की व्यवस्था होगी। ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता द्वारा यह प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम/वसावट आवश्यक पक्की सड़क एवं पक्की नाली की लंबाई मीटर में प्रतिवेदित करेंगे। सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी नगरीय क्षेत्र के लिए नली एवं पक्की गली के लिए प्रतिवेदन देंगे।

6– शौचालय निर्माण, घर का सम्मानः–

खुले शौच से मुक्त, स्वस्थ्य एवं स्वच्छता के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। यह कार्य पी.एच.ई. डी.को करना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों की भूमिका होगी कि किन–किन गावों/टोलों/बसावटों में कितने शौचालय का निर्माण की आवश्यकता है। सभी परिवारों में शौचालय की उपलब्धता होगी। सभी नगर निकाय के पदाधिकारी नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराऍगे।

7– अवसर बढ़े, आगे बढ़ेः–

जिला एवं अनुमंडल में उच्च, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिला में जी0एन0एम0स्कूल, पैरा मेडिकल इन्स्टीच्यूट, पॉलिटेकनीक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम.स्कूल एवं सरकारी औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।

जिला मुख्यालय में जी0एन0एम0स्कूल हेतु भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन खाता/खेसरा/रकवा(भूमि का विवरण के साथ) अंचल अधिकारी, रहिका आज ही उपलब्ध करायेंगे।

पैरा मेडिकल इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन खाता/खेसरा/रकवा (भूमि का विवरण के साथ)अंचल अधिकारी रहिका आज ही उपलब्ध करायेंगे। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संसस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, लौकही नारी गो सदन से संबंधित भूमि का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित नोडल पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व होंगे जो संबंधित पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर नोडल पदाधिकारी श्री नरेश झा को उपलब्ध करा देंगे। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व द्वारा बताया गया कि सरकारी आई.टी.आई. संस्थानों हेतु भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा चुका है। अनुमंडल पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचल अधिकारियों से यह सुनिश्चित करायेंगे।

प्रशासनः–

अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत ठोस कार्रवाई होगी। पुलिस व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर शिकायतों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन एफ.आई.दर्ज करने की व्यवस्था की जानी है। महिला पुलिस कर्मियों के आवासन हेतु बैरक, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था पुलिस लाईन एवं थानों में की जायेगी। सभी गृह रक्षकों का सेवा इतिहास और कार्य आवंटन कम्प्यूटरीकृत कराया जाना है। अग्निशाम व्यवस्था का विस्तार कर इसे आधूनिक बनाया जायेगा। प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जायेगा। जहॉ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है वहॉ नयी कय नीति के तहत भूमि उपलब्ध कराया जाना है ताकि प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो सके। विलेखों का निबंधन की प्रकिया में सरलीकरण करते हुऐ ऑनलाईन फाईलिंग की व्यवस्था की जाएगी। निबंधन कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

योजना एवं विकास, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पथ निर्माण एवं परिवहन, शिक्षा, बिजली,पेयजल एवं स्वच्छता, सिंचाइ एवं बाढ़ प्रबंधन, नगर विकास, सामाजिक न्याय,बाल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण,श्री संसाधन, पर्यटन, कला संस्कृ1ति खेल एवं युवा मामले, सूचना प्रावैधिकी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के संबंध में गजट में प्रकाशित सभी बिन्दुओं की जानकारी बैठक में उपलब्ध पदाधिकारियों को देते हुये उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अंचल अधिकारियों को बताया गया कि अग्निकाण्ड के मामलों में राहत वितरण हेतु आपदा प्रबंधन से नया निर्देश प्राप्त हुआ है जिसका पालन किया जाय। निर्देशानुसार यदि प्रभावित परिवार के पास बैंक खाता उपलब्ध नहीं हो यथा जलकर नष्ट हो गया हो तो आवश्यकतानुसार राहत की राशि नकद भी भुगतान किया जा सकता है। विभागीय दिशा निदेश का पालन किया जाय।

पी.एच.ई.डी. को जल स्तर का प्रतिवेदन देना है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बसावटों/टोलों/गावों का सर्वेक्षण करा लें कि कहॉ कहॉ पानी का संकट उत्पन्न हो गया है।

आर0टी0पी0एस0:–

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 अगस्त 2011 से आर0टी0पी0एस0लागू किया गया था। निर्धारित समय–सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। समय–सीमा समाप्त मामलों में अपीलीय पदाधिकारी को सुनवाई कर दण्ड निरूपित किया जाना था। दण्ड की राशि वसूल की जानी है। किन्तु ऐसा देखा गया है कि अपीलीय पदाधिकारियों के यहॉ मामला लंबित है। प्रभारी पदाधिकारी, द्वारा बताया गया कि दण्ड की राशि जमा करने की गति काफी धीमी है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि 26.04.2016 तक दण्ड की संपूर्ण राशि जमा कराते हुये प्रतिवेदन उसी दिन सांयकाल तक समर्पित किया जाय। यदि दण्ड की राशि जमा नहीं होती है तो संबंधित अपीलीय पदाधिकारी के विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी। आर.टी.पी.एस.काउण्टर पर बिचौलियों की गिरफ्तारी की जानी है किन्तु छापामारी नहीं हो रही है। अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने अपने क्षेत्र के प्रखण्ड/अंचल मुख्यालय में बने काउण्टर का औचक जॉच करेंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी यदि पाते हैं कि कोई बिचौलिया नहीं है तो इस आशय का लिखित प्रमाण देंगे। यदि वरीय पदाधिकारी द्वारा जॉच में पाया जाता है कि बिचौलिया है तो संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई होगी। आई.टी.प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे कि कितने मामलों में दण्ड निरूपित है और कितने में दण्ड की राशि की वसूल की गयी है।

(02)लोक शिकायत निवारण अधिनियम :–

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। 30 अप्रील 2016 तक जिन पदाधिकारियों के जिम्मे लोक शिकायत से संबंधित प्रतिवेदन लंबित है, वे इसके पूर्व जिला जन शिकायत कोषांग में समर्पित कर दें अन्यथा पहली मई 2016 के बाद वैसे पदाधिकारियों को दण्ड निरूपित किया जायेगा। डाटाबेस तैयार हो जाने पर निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के बाद स्वतः दण्ड निरूपित होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिनके विरूद्ध दण्ड निरूपित होगा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का भी प्रावधान है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी लंबित सूची के अनुसार अधिकांश पदाधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है। काफी अधिक संख्या में लंबित मामलों का निष्पादन कर उसे शून्य किया है जो सराहनीय है। जिन पदाधिकारियों के जिम्मे लंबित है वे हर हाल में 30.04.2016 के पूर्व शत–प्रतिशत समर्पित कर दें। यह भी ध्यान रहे कि जॉच प्रतिवेदन गुणवत्तापूर्ण हो।

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत पुलिस विभाग से संबंधित नोडल पदाधिकारी के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक, मधुबनी नियुक्त किये गये हैं।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत आधारभूत संरंचना जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अनुमंडल मुख्यालयों में तैयार किया जाना है। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्य सभी अनुमंडल पदाधिकारियों ने बताया कि कार्य आरम्भ तथा पूर्णता की स्थिति में है। ब्रॉड बैण्ड के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर द्वारा बताया गया कि भारत संचार निगम के पदाधिकारी द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से ली जायेगी। यदि विभाग कार्य में कोताही एवं शिथिलता की जाती है तो पहले उन्हें सचेष्ट किया जाय सुधार नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाय। कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति जिला स्तर से की जा रही है।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच के स्तर पर हो रही है। विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी या अन्य जो भी पदाधिकारी नियुक्त हैं, वे अपना प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को अविलम्ब समर्पित कर दें। हर हाल में 90 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही में संचालन का प्रतिवेदन समर्पित हो जाना है। जिन मामलों में 90 दिनों से अधिक हो गया है उन मामलों को दिनांक 30.04.2016 तक तार्किक निष्पादन कर देना है।

3–नयी उत्पाद नीतिः–

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नयी उत्पाद नीति के तहत कुछ थाना अध्यक्षों का कार्य सराहनीय रहा है। किन्तु कुछ थाना अध्यक्षों में कार्य शिथिलता प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है। नियमित छापामारी की जानी है। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र में छापामारी की स्थिति अच्छी नहीं है। नयी उत्पाद नीति के तहत सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा करें। यदि गश्ती/छापेमारी में उपलब्धि नहीं मिलती है तो थाना अध्यक्षों/उत्पाद विभाग से लिखित प्रमाण पत्र लिया जाय कि उनके क्षेत्र में अवैध दारू का कारोबार नहीं होता है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो गिरफ्तार होते हैं उनके विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–107 के तहत स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है। यदि थाना अध्यक्ष से प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं तो ठीक है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बिना डायरी की प्रतीक्षा किये 24 घंटा के अंदर चार्जसीट देना है क्योंकि इसमें स्पीडी ट्रायल किया जाना है। सभी थाना अध्यक्षों को निदेशित किया गया कि अवैध कारोबार करनेवालों अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–107 की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रस्ताव संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारियों को तुरत भेंजेंगे। थाना अध्यक्षों का प्रतिवेदन आवश्यक है प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर थाना अध्यक्ष इसके लिए जवाबदेह होंगे।

अधीक्षक उत्पाद द्वारा बताया गया कि जिन गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिल गया है उनके विरूद्ध अपील करना है।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधीक्षक उत्पाद को निदेशित किया गया था कि महुआ के बृक्षों का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन देना है। किन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसकी सूची सोमवार तक हर हाल में उपलब्ध हो जानी चाहिए। महुआ के कितने दुकान है, यदि नहीं है तो शून्य प्रतिवेदन प्रमाण पत्र के साथ दिया जायेगा।
खाण्डसारी वालों का भी सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन सोमवार तक देना है।

आदतन दारू पीने वालों की सूची जीविका को समर्पित किया जाना है। सोमवार तक सूची तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

23/4/16.

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

23/04

ज्ञाप संख्या 599 / मधुबनी दिनांक 25.04.2016

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/4/16.

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

23/04